न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

जमानत आवेदन संख्या–168/2026 संगणक पंजियन संख्या–3098/2026

UPGZ010068122026

गीता पत्नी तरूण, निवासी–गली नं० 1, 30 फुटा रोड, नंदग्राम, थाना–नंदग्राम, जनपद–गाजियाबाद----------आवेदक/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–295/2026
धारा–8/20(B)IIA, 21(B) एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–नंदग्राम, गाजियाबाद।

18.06.2026

1– प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से यह जमानत आवेदन मु०अ०सं०–295/2026 धारा–8/20(B)IIA, 21(B) एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–नंदग्राम, जिलाः गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्ता की ओर से तरूण शर्मा पुत्र जयचंद शर्मा का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत आवेदन है, उसका कोई अन्य जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत आवेदन पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष हैं उसे झूंठा फसाया गया है। अभियुक्ता का उक्त घटना से कोई लेना–देना नहीं है। अभियुक्ता से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, जो भी बरामदगी दर्शित है वह फर्जी एवं झूठी है। अभियुक्ता पर थाना हाजा की पुलिस द्वारा धारा–50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्ता के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्ता एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। अतः अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

5– अभियुक्ता के जमानत आवेदन के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि थाना हाजा की पुलिस द्वारा आवेदक अभियुक्ता से 900 ग्राम अवैध गांजा व 172 ग्राम स्मैक बरामद की गयी। आवेदक अभियुक्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति की महिला है। अतः आवेदक/अभियुक्ता के जमानत आवेदन को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित है कि आवेदक अभियुक्ता के कब्जे से 900 ग्राम अवैध गांजा व

Digitally signed by Dinesh Chandra Shukla
Date: 2026.06.18 17:14:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

172 ग्राम स्मैक बरामद होना दर्शित है। आवेदक अभियुक्ता से बरामद उक्त नशीले पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी से कम है। आवेदक अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथपत्र के माध्यम से यह कथन किया है कि आवेदक अभियुक्ता से बरामद रूपये उसके द्वारा उसकी छोटी पुत्री संगीता की शादी के खर्चे के लिये रखे थे। थाना हाजा की आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्ता का एक मुकदमें का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया है, परन्तु आवेदक अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से आपराधिक इतिहास में वर्णित मुकदमें के संबंध में अभियुक्ता को जमानत पर होने का कथन किया है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों आदि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक अभियुक्ता का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता **गीता** की ओर से मु०अ०सं०–295/2026 धारा–8/20(B) IIA, 21(B) एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–नंदग्राम, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–168/2026 **स्वीकार** किया जाता है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अंकन 1,00,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्ता जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछतांछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्ता न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्ता आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्ता वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(डॉ० दिनेश चन्द्रा शुक्ल)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP1529